

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
(अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य का ध्वस्तीकरण आदेश)

पत्रांक : 1955 / वाद सं० सी-0684 / एस-8 / 2023

दिनांक: 11.07. 2023

श्री अबुल जैन व श्री बृजराज सिंह
नियर सन्तला देवी मन्दिर के निकट नून नदी के किनारे
देहरादून।

विपक्षी श्री अबुल जैन व श्री बृजराज सिंह निवासी नियर सन्तला देवी मन्दिर के निकट नून नदी के किनारे देहरादून द्वारा प्रश्नगत स्थल पर लगभग 2 से 3 बीघा जमीन पर समतलीकरण कर नदी से लग कर 4 से 8 फुट उंचाई पर पुस्तो का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या सी-0684 / एस-8 / 2023 योजित किया गया है। स्थल पर नोटिस दिनांक 06-07-2023 को पंकज जैन द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 10-07-2023 तिथि नियत की गई।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 10-07-2023 की तिथि नियत करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नियत तिथि को आप उपस्थित रहे। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्या दिनांक 26-04-2023 के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर लगभग 2 से 3 बीघा जमीन पर समतलीकरण कर नदी से लग कर 4 से 8 फुट उंचाई पर पुस्तो का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। विपक्षी श्री पंकज जैन उपस्थित हुये तथा लिखित रूप में सूचित किया गया कि उनके द्वारा कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है। किन्तु प्लानिंग के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। और ना ही चालान शुदा निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस जबाब प्रस्तुत किया गया। उक्त से स्पष्ट होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

विपक्षी श्री अबुल जैन व श्री बृजराज सिंह निवासी नियर सन्तला देवी मन्दिर के निकट नून नदी के किनारे देहरादून द्वारा प्रश्नगत स्थल पर लगभग 2 से 3 बीघा जमीन पर समतलीकरण कर नदी से लग कर 4 से 8 फुट उंचाई पर पुस्तो का निर्माण किया जा रहा है। मौके पर स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालान शुदा किये गये प्लानिंग/निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अतः चालान शुदा प्लानिंग दिनांक 18-07-2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जानी है। जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा-खर्चा आपसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।

[हस्ताक्षर]

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

अज्ञेय,

श्री अबुल जैन व श्री बृजराज सिंह का

नोटिस उनके नौमीकर श्री अबुल जैन व श्री बृजराज सिंह के

उन पर नोटिस उनके नौमीकर श्री बृजराज सिंह के नोटिस प्राप्त किया।

उक्त नोटिस की एक प्रति उनके भाई का बिजली स्थल पर चस्पा किया। 13/7/23